झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची

राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावाँ

(पोस्ट–बड़ा आमदा, जिला–सरायकेला–खरसावाँ, झारखण्ड–833101)

(AICTE ID: 1-487472261 Website-www.gpkharsawan.in, E-mail ID-gpkharsawa@rediffmail.com)

कार्यालय आदेश

संस्थान के पठन–पाठन कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु छात्रो के पाठ्यक्रम के आधार पर विभिन्न विषयों के पढाई सुनिश्चित करने हेतु अंशकालीन व्याख्याता के साक्षात्कार के लिए दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 29.09.2021 को विज्ञापन प्रकाशित कर दिनांक 26.10.2021 से 28.10.2021 तक इस संस्थान में गैर–तकनीकी/तकनीकी विषयों हेतु साक्षात्कार आयोजित किया गया। साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यार्थी का Short Listing झारखण्ड सरकार के द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर को पालन करते हुए निम्नलिखित अभ्यार्थियों को अंशकालीन व्याख्याता के रूप में संस्थान मे वर्ग अध्यापन कार्य करने हेतु नीचे दिये गये शर्तों पर कार्यानुमति प्रदान की जाती है।

शर्तेः–

1. यह कार्यादेश एक वर्ष के लिए या संबंधित पद पर प्रक्रियानुसार सरकार द्वारा विधिवत नियमित नियुक्ति अथवा संविदा पर/पदस्थापन होने तक, उक्त में जो भी पहले हो, पूर्णतः अंशकालीन व्यवस्था के तहत किया जा रहा हैं।
2. सरकार द्वारा स्वीकृत रू0 400.00 (चार सौ रूपये) मात्र प्रति व्याख्यान की दर से अधिकतम रू0 24,000.00 (चौबीस हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह मानदेय देय होगा।
3. यह कार्यादेश पूर्णतः अंशकालीन एवं अस्थायी है तथा आवश्यकतानुसार छात्रहित में किया जा रहा है। अतः चयनित अभ्यार्थी द्वारा इस आशय का न्यायालय/नोटरी पब्लिक से शपथ पत्र देना होगा कि वे नियमित नियुक्ति के लिए दावा नहीं करेगें।
4. यह कार्यादेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।
5. संबंधित पद के विरूद्ध नियमित नियुक्ति/पदस्थापन या स्थानान्तरण अथवा किसी अन्य प्रकार से भरे जाने के स्थिति मे या लगातार 07 (सात) कार्य दिवसों तक अनुपस्थित रहने पर यह कार्यानुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
6. अंशकालीन व्याख्याता वर्ग कार्य के पूर्व Teaching Plan तैयार कर संस्थान प्रधान को उपलब्ध करायेगें।
7. कार्य भार ग्रहण करने या व्याख्यान देने के लिए इन्हे किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगी।
8. कार्यादेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर चयनित अभ्यार्थियों को इस आशय का शपथ पत्र न्यायालय/नोटरी पब्लिक से देना होगा कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत किसी भी अन्य राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक/अभियंत्रण महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अन्तर्गत कॉलेज/संस्थानो मे वर्ग कार्य नहीं करते है। अगर ऐसा करते हैं तो कुल पारिश्रमिक का योग रु0 24000 (चौबीस हजार रूपये) मात्र से अधिक नहीं हों।
9. ऐसे अभ्यार्थी जो अंशकालीन व्याख्याता के रूप में चयनित हुए है एवं अन्यत्र सरकारी सेवा मे है, को संबंधित संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. सामयिक/सात्रिक/प्रायोगिक/प्रश्न पत्र चयन तथा मूल्यांकन इत्यादि के लिए अलग से कोई पारिश्रमिक देय नही होगा।
11. वैसे अंशकालीन व्याख्याता जो संस्थान/छात्रहित से संबंधित किसी भी प्रकार के नकारात्मक कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं तथा जिसकी पुष्टि छात्रों से या अन्य श्रोतों से पुख्ता पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा।

30.10.21

P.T.O.

निम्नांकित अंशकालीन व्याख्याताओं को शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए कार्यानुमति प्रदान की जाती है–

शाखा / विषय	मेघा कमांक	चयनित अभ्यार्थियों के नाम	कोटि	अभ्युक्ति
Electrical Engg.	1.	Sri. KunalSoni	Gen	
	2.	Sri. Mukesh Kumar	BC-I	
	3.	Ms. DiptiKumariBodra	ST	
	4.	Ms. Annu Sharma	EBC	
	5.	Sri PrakashDey	BC-I	
Electronics & Communication Engg.	1.	Sri. Ashwanee Kumar	Gen	
	2.	Sri Sagen Hansda	ST	
	3.	Sri.Vidya Shankar Pandey	Gen	
	4.	Ms.Pandit Ritu Kumari	OBC	
	5.	Sri Bapan Dey	Gen	
Computer Engg.	1.	Sri.Rajnish Kumar	Gen	
Mechanical Engg.	1.	Sri. Shiv Shankar Sundi	ST	
	2.	Md. SarwarAlam	Gen	
Physics	1.	Ms. Puja Mahto	OBC	
Mathematics	1.	Ms. Shweta Sarangi	Gen	
English	1.	Sri Vishnu Kumar Tiu	ST	
Chemistry	1.	Ms. Sarita Mahto	Gen	

ह0 / –
प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावाँ।

ज्ञापांक : 842 खरसावाँ, दिनांक : 30/10/2021

प्रतिलिपि–

1. निदेशक (त0शि0), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी विभागाध्यक्ष विद्युत / ई0सी0ई0 / यांत्रिक / सी0ई0 / भौतिकी / गणित / रसायन विज्ञान विभाग, राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावाँ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संबंधित अंशकालीन व्याख्याताओं को सूचनार्थ प्रेषित।
4. स्थापना शाखा / प्रधान लिपिक / लिपिक / रोकड़पाल को सूचनार्थ।
5. अंशकालीन व्याख्याता प्रभारी को सूचनार्थ प्रेषित।
6. समय–सारणी प्रभारी को सूचनार्थ।
7. संस्थान के सूचना पट्ट पर / संस्थान के Web Site पर सूचनार्थ।

30.10.21

प्रभारी प्राचार्य,